

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रोहतास आदि

बनाम

कृष्णा आदि

दावा बाबत :- 88 RTA ct

मुकदमा नम्बर :- 133/2021

निर्णय दिनांक :- 02-10-2021

वादी की ओर से वकील श्री लीलाधर अग्रवाल की व प्रतिवादी सं0 192 की ओर से वकील श्री कृष्णा आरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख

को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही मौजा चक पंजर के खाता सं. 08/42 के मुं. 28 के जिला नं. 24 की 0.253 हेक्टेयर, नहरा, व मुं. 36 के जिला नं. 2/1 व जिला नं. 3/1 कुल 2.244 हेक्टेयर वादभूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। मैं से अकल प्रतिवादी सं. 1 के माजूर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 को हिस्सा वारंवर के खातेदार वास्तुकार घोषित किया जाते हैं। मुं. 2 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पूरा में हथौठा कर चुके हैं। मुं. 3 ने अपना हक व हिस्सा पट्टे पर पंजीयन विभागा को अर्पण किया है। मुं. 4 एवं मुं. 5 अर्पण कर चुके हैं। मुं. 6 व मुं. 7 वादभूमि किसी के हक में रहने वाली रहने मुक्त होने के उपरान्त ही रजिस्टर ऑफिस में अमल परामुद किया जावे। राजीनामा को डिक्री का मांग पडा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़